

31/8/21 पत्रा पत्रा द्वि प्रकरण में विवाहित पदाधारक एवं
 वकील अभयपत्न को बार-बार आवेदन लगावानी
 गयी। - पामालन की सुनवाई का समय समाप्त
 होने तक विवाहित पदाधारक में से कोई या उनकी
 ओर से प्राविष्टत एवं अन्य व्यक्ति लापर अक्षत
 नहीं आया। अतः प्रकरण अक्षत लापर एवं अक्षत
 प्रेसी में खारिज किया जाता है। पत्रापत्नी केवल
 शिमार होकर नखर से उन हो। तथा बाद नखर
 शिखिल दफ्तर हैं। निर्णय सुने - यथावय में
 सुनाया गया।

(मुनेश कुमारी C.R.A.S.)

सहायक कलक्टर (द्वितीय) बीकानेर

विभागाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/इंटर ऑफर विभागाध्यक्ष
 विभागाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष
 विभागाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष
 विभागाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष

विभागाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/इंटर ऑफर विभागाध्यक्ष
 विभागाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष
 विभागाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष
 विभागाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष